231

हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग (नि0– (II)

925
27-8-11

संख्याः पीईआर (एपी)–सी–ए (3)–7/2010. तारीख शिमला–2, 3 अगस्त, 2011.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ सहायक, वर्ग–III, (अराजपत्रित लिपिक वर्गीय सेवाएं) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–'क' के अनुसार सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थातः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग–III, (अराजपत्रित, लिपिक वर्गीय सेवाएं) सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है।

(2) यह नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम हिमाचल प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी विभागों को लागू होंगे :

परन्तु ये नियम हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय/हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पदों को लागू नहीं होंगे :

निरसन और व्यावृत्तियां। 2. (1) हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन समय–समय पर जारी वरिष्ठ सहायक के पदों के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमों में उपबंधित भर्ती की पद्धति प्रवृत्त नहीं रहेगी ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

Br-I
26-8-11

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (कार्मिक),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः पीईआर (एपी)–सी–ए (3)–7/2010. तारीख शिमला–2, 3 अगस्त, 2011.
प्रतिलिपि प्रेषित हैः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अतिरिक्त सचिव/विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002.
2. सभी मण्डलायुक्त हिमाचल प्रदेश।
3. सभी विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
4. सभी उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
5. सचिव, हि0प्र0 लोक सेवा आयोग, शिमला–2 को उनके पत्र संख्या 6–1/92–पी0एस0सी0–पार्ट, दिनांक 31 मार्च, 2011 के सन्दर्भ में।
6. सचिव, हि0प्र0 अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड, हमीरपुर।
7. संयुक्त विधि सलाहकार एवं संयुक्त सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.
8. 250 अतिरिक्त प्रतियां।

Smt. Alka 27/8

अवर सचिव (कार्मिक),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

Directorate of Agriculture H.P.
Dy. No. 2244
Date 27-8-2011

Endst. No. Agr. H(1)(B)15-13/85-VI Dt. 29.08.11
Copy to Dealing Asstt. dealing with ...

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ सहायक, वर्ग–III (अराजपत्रित लिपिक वर्गीय सेवाएं) के पद के लिए सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1	पद का नाम :	वरिष्ठ सहायक
2	पदों की संख्या :	जैसी सम्बद्ध विभाग में सरकार द्वारा समय–समय पर मंजूर की गई है और मंजूर की जाएगी।
3	वर्गीकरण :	वर्ग –III (अराजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएं)
4	वेतनमान :	पे बैण्ड :10300–34800/- रूपए जमा 3800/- रूपए ग्रेड पे।
5	"चयन" पद अथवा "अचयन" पद :	अचयन।
6	सीधी भर्ती के लिए आयु :	लागू नहीं
7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :	लागू नहीं
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं :	आयु : लागू नहीं शैक्षिक अर्हता : जैसी नीचे स्तम्भ संख्या–11 में विहित है।
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :	दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता :	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सैकेन्डमैंट आधार पर।
11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा :	सम्बद्ध विभागों के लिपिकों/कनिष्ठ सहायकों के सामान्य लिपिकीय संवर्ग में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से समरूप वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सैकेन्डमैंट आधार पर : परन्तु ऐसे पदधारी/लिपिक, जो वर्ग–IV के कर्मचारियों में से प्रोन्नत किए गए हैं या करूणामूल्क आधार पर नियुक्त किए गए हैं वरिष्ठ सहायक के पद की प्रोन्नति के लिए तभी पात्र होंगे, यदि वे लिपिक के पद की सीधी भर्ती के लिए यथा विहित 10+2 की शैक्षणिक अर्हता रखते हों।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो

परन्तु यह और कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I:— उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II :— उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप–मण्डल।
3. रोहड़ू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत् काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़–भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल–बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उपतहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्दर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ़, थाच–बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसारण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे ;

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

<u>स्पष्टीकरण</u>:— अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन–टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत् वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेश

आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत् भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत् वरीयता लाभ दिए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना :	जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा :	लागू नहीं।
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	लागू नहीं।
16	आरक्षण :	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17	विभागीय परीक्षा :	लागू नहीं।
18	शिथिल करने की शक्ति :	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

(Authoritative English Text of Government Notification No. Per (AP)-C-A (3)-7/2010 dated 3-8-2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India). 234

Government of Himachal Pradesh
Department of Personnel (AP-III)

No. Per (AP)-C-A (3)-7/2010 Dated: Shimla-171002, 3rd August, 2011.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Common Recruitment and Promotion Rules for the post of Senior Assistant, Class-III, (Non-Gazetted, Ministerial Services) in various Departments of the Government of Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:-

Short title and Commencement. 1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III, (Non Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

(3) These rules shall be applicable to all the Government Department of State of Himachal Pradesh :

Provided that these Rules shall not apply to the posts of the Vidhan Sabha Secretariat/ High Court of H.P.

Repeal and Savings 2. (1) The method of recruitment provided in Recruitment and Promotion Rules for the posts of Senior Assistant under various Departments of the Himachal Pradesh Government issued from time to time, shall cease to operate:

(2) Notwithstanting such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) of this rule, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order

Principal Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. Per (AP)-C-A (3) -7/2010 Dated : Shimla-171002, 3rd August, 2011.

Copy forwarded to:-

1. All the Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries/Additional Secretaries/ Deputy Secretaries/Under Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. All the Divisional Commissioners in Himachal Pradesh.
3. All the Heads of Departments in Himachal Pradesh.
4. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
5. Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2.
6. Secretary, H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
7. Joint Legal Rememberancer-cum-Joint Secretary (Law) to the Govt. of Himachal Pradesh.
8. 250 spare copies.

Under Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh.

Annexure-A

Common Recruitment & Promotion Rules for the posts of Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted-Ministerial Services) in various Departments of Himachal Pradesh Government.

1.	Name of Post	:	Senior Assistant
2.	Number of Posts	:	As sanctioned and may be sanctioned by the Government from time to time in the concerned Departments.
3.	Classification	:	Class-III (Non-Gazetted) (Ministerial Services).
4.	Scale of Pay	:	Pay band: Rs. 10300-34800 + 3800 Grade Pay.
5.	Whether "Selection" Post or "Non-Selection" Post	:	Non-Selection.
6.	Age for Direct recruitment	:	N.A.
7.	Minimum Educational and other qualifications required for direct recruitment	:	N.A.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees		Age : N.A. Educational Qualifications: As prescribed against Col. No. 11 below.
9.	Period of Probation, if any		Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods		100% by promotion failing which on secondment basis.

11.	In case of recruitment by promotion deputation, transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer is to be made	By promotion from amongst the Common Clerical cadre Clerks/Junior Assistants of concerned Departments possessing ten years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other H.P. Government Departments : Provided that such incumbents/ Clerks who have been promoted from Class-IV or appointed on compassionate grounds will be eligible for promotion to the post of Senior Assistant, only if, they possess the educational qualification of 10+2 as prescribed for direct recruitment to the post of Clerk.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I:-For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II:- For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

-3-

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:-The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Services in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition;	As may be constituted by the Govt. from time to time.
13	Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment;	As required under the Law.
14	Essential requirement for a direct recruitment;	N.A.

15	Selection for appointment to the post by direct recruitment;	N.A.
16	Reservation;	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental Examination	Not Applicable.
18	Power to Relax;	Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provision (s) of these Rules with respect to any class or category of person (s) or post (s).

*****

(Authoritative English text of Government Notification No. Per (AP)-C-A(3)-7/2010 Dated: 18-04-2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Personnel (AP-III)

No. Per (AP)-C-A(3)-7/2010 Dated: Shimla-2, the 18th April, 2012.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is please to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion Rules, 2011 notified vide this Department Notification No. Per (AP)-C-A(3)-7/2010 dated the 3rd August, 2011, namely:-

Short title and Commencement	1.	(1)	These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion (Second Amendment) Rules, 2012.
		(2)	These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
Amendment of Annexure-A	2.		In Annexure-A of the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion Rules, 2011

(1) For the existing provision against Col. No. 10, the following shall be substituted, namely:-

"100% by promotion." ; and

(2) For the existing provision against Col. No. 11, the following shall be substituted, namely:-

"By promotion from amongst the Common Clerical cadre of Clerks/Junior Assistants of concerned Departments possessing ten years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade :

Provided that all such incumbents will be eligible for promotion to the post of Senior Assistant, only if, they possess the minimum educational qualification of 10+2 as prescribed for direct recruits or Clerks absorbed against direct recruitment post.

A (I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at-least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso A (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who

have five years or less service, left for superannuation:

Provided further that Officers/Officials who have not served at-least one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I: For the ~~purpose of~~ proviso A (I) supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II: For the purpose of proviso A(I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchyat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gus thyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad saini, Ma and Kholanal of Bali- Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman. Devgarh, Trailla. Ropa. Kathog. Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District·

Provided that the provisos regarding essential service in the tribal/difficult areas shall not be applicable to such services/ establishments/ Departments whose services are non-transferrable and do not have posts in such areas.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the

provisions of R & P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:-The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Services in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged."

By order,

Manisha Nanda
Principal Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. Per (AP)-C-A(3)-7/2010 Dated: Shimla-2, the 18th April, 2012.

1. All the Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/ Secretaries/Additional Secretaries/Special Secretaries/ Joint Secretaries/ Deputy Secretaries/Under Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. All the Divisional Commissioners in Himachal Pradesh.
3. All the Heads of Departments in Himachal Pradesh.
4. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
5. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2 with reference to his letter No. 6-1/92-Part, Dated 12.03.2012.
6. The Secretary, H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
7. Joint Legal Rememberancer-cum-Joint Secretary (Law) to the Govt. of Himachal Pradesh.
8. 250 spare copies.

Under Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh.

-x-

हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग (नि0–।।।)

......

संख्याः पर.(ए.पी.) सी–ए(3)–7/2010–। तारीख शिमला–02, 28.05.2020

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पर.(ए.पी.) सी–ए(3)–7/2010, तारीख 03 अगस्त 2011 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग–।।। (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग–।।। (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति (पॉचवां संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम हिमाचल प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी विभागों को लागू होंगें:–

परन्तु ये नियम हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय/हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय/हिमाचल प्रदेश सचिवालय के पदों को लागू नहीं होंगें:

उपाबन्ध–"क" का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक वर्ग–।।। (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 के उपाबन्ध–"क" में:–

(क) स्तम्भ संख्याः 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"सम्बद्ध विभाग के कनिष्ठ सहायकों या रेस्टोरर (केवल ऐसे स्थापन (स्थापनों) जहां रेस्टोरर का प्रवर्ग वरिष्ठ सहायक के पद

--2/--

के लिए सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियमों की अधिसूचना से पूर्व प्रचलित भर्ती और प्रोन्नति नियमों में वरिष्ठ सहायक के पद की प्रोन्नति के लिए सम्भरक प्रवर्ग था) में से प्रोन्नति द्वारा जो 10+2 या इसके समतुल्य जैसे हायर सेकॅण्डरी पार्ट–II, इन्टरमिडिएट आदि की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता धारण करने के अध्यधीन जिनका लिपिक या कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) के सेवाकाल को सम्मिलित करके कनिष्ठ सहायक के रूप में दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

वरिष्ठता की गणना अभ्यर्थी के कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थानन की तारीख से की जाएगी। स्थानन की तारीख एक ही होने की दशा में पदधारियों को चक्रण द्वारा अर्थात उक्त तारीख को लिपिक और कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई टी) में से इस प्रकार रखे एक—एक के आधार पर विचार किया जाएगा।

परन्तु रिस्टोरर प्रवर्ग के केवल वे ही पदधारी वरिष्ठ सहायक के पदों की प्रोन्नति के लिए विचारे जाएंगे जिन्होंने लिपिकों के लिए यथा विहित टंकण परीक्षा अर्हित की हो:

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय / कठिन / दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में पद(पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती / स्थानान्तरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष की या उससे कम की सेवा शेष रही हो । तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय / कठिन / दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उनके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I : उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / कठिन / दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में

...3/-

"कार्यकाल" से, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रो में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II : उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप—मण्डल ।
3. रोहडू उप—मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप—मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर ।
8. सिरमौर जिला में उप—तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त और रेणुकाजी तहसील के भलाड़—भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप—तहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल पटवार वृत, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवग ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर, और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ, थाच—बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।

स्पष्टीकरण III : उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :—

(i) उप—मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान।

(ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहॉं के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने

गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल; (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नत किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएँगे ।

<u>**स्पष्टीकरणः–**</u> अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने सशस्त्र बल में आपातकाल की अवधि के दौरान पदग्रहण किया है और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल(रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन–टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ

वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(ii) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।''

आदेश द्वारा,

आर0 डी0 धीमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक),
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि। तारीख शिमला–2, 28.05.2020

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
2. अतिरिक्त विधि सलाहकार–एवं–अतिरिक्त सचिव (विधि–परामर्श), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–02.
3. सभी मण्डलायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
4. सभी विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
5. सभी उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
6. सचिव, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर।
7. अवर सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला–02 को उनके पत्र संख्या 6–1 / 92– पी0एस0सी0–पार्ट, दिनांक 10.12.2019 के सन्दर्भ में।
8. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–05

(ओम प्रकाश भंडारी)
उप सचिव (कार्मिक),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

***

(Authoritative English text of this Department Notification No. Per (AP)-C-A (3)-7/2010-I Dated 28th May, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Department of Personnel (AP-III)

No. Per (AP)-C-A (3)-7/2010-I Dated: Shimla-02, 28.05.2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2011 notified vide this Department Notification No.Per(AP)-C-A(3)-7/2010 dated 3rd August 2011, namely:-

Short title and Commencement 1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services Common Recruitment and Promotion (Fifth Amendment) Rules, 2020.

(2) These rules come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.

(3) These rules shall be applicable to all the Government Departments of State of Himachal Pradesh:

Provided that these rules shall not apply to the posts of the Vidhan Sabha Secretariat/High Court/Secretariat Administration Department of Himachal Pradesh.

Amendment of Annexure-A 2 In Annexure-A to the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services Common Recruitment and Promotion Rules, 2011:-

(a) For the existing provisions against Col. No.11, the following shall be substituted, namely:-

"By promotion from amongst the Junior Assistants of concerned departments OR Restorer *[only in such establishment(s) where the category of Restorer was a feeder category for promotion to the post of Senior Assistant in the prevailing R&P Rules prior to notification of Common R&P Rules for the post of Senior Assistant]* subject to possessing of requisite educational qualification of 10+2 or its equivalent like Higher Secondary Part-II, Intermediate etc. with ten years' regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, as Junior Assistant combined with Clerk or Junior Office Assistant(IT).

The seniority will be reckoned from the date of placement of the incumbent(s) as Junior Assistant. In the case of same date of placement, the incumbents will be considered by rotation i.e. on one to one basis so placed from Clerk and Junior Office Assistant (IT) on the said date.

Provided that only those incumbents of Restorer category who have qualified typing test as prescribed for Clerks will be considered for promotion to the post of Senior Assistant;

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officer/Official who has not

served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I:- For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation II:- For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of

Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III: For the purpose of proviso (I) supra the Remote/ Rural Areas shall be as under:

i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter.

ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.

iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment &

Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen **who have joined Armed Forces during the period of emergency** and recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged."

By Order

R.D.Dhiman
Addl. Chief Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. Per (AP)-C-A (3)-7/2010-I Dated: Shimla-2, the 28.05.2020.

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. Addl. LR-cum-Addl. Secretary Law (O) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2.
3. All the Divisional Commissioners in Himachal Pradesh.
4. All the Heads of Departments in Himachal Pradesh.
5. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
6. The Secretary, H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur.
7. The Under Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2 with reference to his letter No. 6-1/92-PSC-Part, dated 10.12.2019.
8. Controller, Printing & Stationary Department, H.P. Shimla-5.
9. Guard file

(O.P. Bhandari)
Deputy Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh

Manoj Bhardwaj | Dy. Director(AH/B) Hamirpur 9418146055

हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग (नि0–III)

संख्याः पी.ई.आर. (ए.पी.)–सी–ए (3)–3/2007–I तारीख़ शिमला–02, 11 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी.ई.आर. (ए.पी.)–सी–ए (3)–7/2010, तारीख 03 अगस्त, 2011 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग– III (अराजपत्रित, लिपिक वर्गीय सेवाएं) सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग–III (अराजपत्रित, लिपिक वर्गीय सेवाएं) सामान्य भर्ती और प्रोन्नति (छठा संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश सचिवालय को अपवर्णित करके हिमाचल प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी विभागों को लागू होंगे।

उपाबंध–'क' का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग–III (अराजपत्रित, लिपिक वर्गीय सेवाएं) सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 के उपाबन्ध–'क' में,–

(क) स्तम्भ संख्याः 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"सम्बद्ध विभागों के लिपिक (लिपिकों)/कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सहायकों) (आई0टी0)/कनिष्ठ सहायक (सहायकों) या रेस्टोरर (केवल ऐसे स्थापन (स्थापनों) जहां, वरिष्ठ सहायक के पद के सामान्य भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों की अधिसूचना से पूर्व विद्यमान

भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में वरिष्ठ सहायक के पद प्रोन्नति के लिए रेस्टोरर पोषक प्रवर्ग था) मे से प्रोन्नति द्वारा, जो 10+2 या इसके समतुल्य जैसे हायर सेकॅण्डरी पार्ट–II, इन्टरमिडिएट आदि की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता धारण करने के अध्यधीन, जिनका लिपिक / कनिष्ठ सहायक या कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई0टी0) / कनिष्ठ सहायक के रुप में सयुक्तः सात वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।"

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए लिपिक / कनिष्ठ सहायक या कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई0टी0) / कनिष्ठ सहायक और रेस्टोरर के पात्र पदधारियों की उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख से पोषक प्रवर्ग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी। नियमित नियुक्ति की एक ही तारीख होने की दशा में पदधारियों को लिपिकों और कनिष्ठ सहायकों (आई0टी0) में ऐसे चक्रानुकम अर्थात एक–एक के अनुपात में विचार में लिया जाएगाः

परन्तु रिस्टोरर प्रवर्ग के उन पदधारियों, जिन्होंने लिपिकों के लिए यथा विहित परीक्षा टंकण अर्हित की है, को ही वरिष्ठ सहायक के पद की प्रोन्नति के लिए विचार में लिया जाएगाः

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय / कठिन / दुर्गम / और दुरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में पद(पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु यह और कि उपरोक्त परन्तुक (I) दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष की या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को जिन्होंने जनजातीय/कठिन/ दुर्गम क्षेत्रों/और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा उसकी वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

<u>स्पष्टीकरण I</u>:– उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों/और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

<u>स्पष्टीकरण II</u>:– उपरोक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:–

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप–मण्डल।
3. रोहड़ू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. जिला कुल्लू का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप–मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में, उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़–भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में, करसोग तहसील का खनयोल–बगड़ा

पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाड़ा गुशैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिलह--भडवानी, हस्तपुर, घ्रमरेहड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चिउणी, कालीपार, मानगढ़, थाच–बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

<u>स्पष्टीकरण--III</u>: उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:–

(i) उप–मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान ।

(ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहाँ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने--अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे।

<u>स्पष्टीकरण</u>:- अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा। यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में कार्य ग्रहण किया था और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हो या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उस के फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।"

आदेश द्वारा,

प्रबोध सक्सेना
अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक),
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि। तारीख शिमला–2, 11 नवम्बर, 2021

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/ विशेष सचिव /अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/ उप सचिव/अवर सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–02.
2. सभी मण्डलायुक्त हिमाचल प्रदेश।
3. सभी विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
4. सभी उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
5. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला–02
6. सचिव, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर।
7. अतिरिक्त विधि परामर्शी–एवं–अतिरिक्त सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार।
8. सहायक विधि परामर्शी–एवं–अवर सचिव (विधि–राजभाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार।
9. अतिरिक्त प्रतिलिपियां।

(बलबीर सिंह)
अवर सचिव (कार्मिक),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

6.

***